ादी संख्या 4 के कायम मुकामातों द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पेश किया। इसलिये ादी संख्या 4 के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों को रेकर्ड पर लिया जाना उचित ुतदाविया खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 7 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है ये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 1,2,7 का नियमानुसार प शुल्क जरिये तर्कनामा से जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। समस्त पक्षकारान् पीडी प्रस्ताव से सहमत है तथा वादग्रस्त खेताय का माफिक पीडी म बंटवाड़ा चाहते हैं इसलिये हम वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार म डिग्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से ा पीडी प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 12.11.2021 व 25 दिनांक 22.11.2021 प्रशासन गांवों संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत सोनेली व झाड़ेली के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम ी किया जाता है।

1. वादीगण लालदास एवं भंवरी के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 115/1 रकबा 0.7203 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 855/89 रकबा 2.6547 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 89 रकबा 4.8077 हैक्टेयर में से 0.3464 हैक्टेयर उतरी पूर्वी कोना हिस्सा नजरीनक्शानुसार व मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 438 रकबा 0.1781 हैक्टेयर , खसरा नंबर 448 रकबा 3.4398 हैक्टेयर में से 1.6308 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 3 कुनणमल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 448 रकबा 3.4398 हैक्टेयर में से 0.4522 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 86 रकबा 2.0882 हैक्टेयर में से 1.6203 हैक्टेयर रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 गणेश दास फौत के कायम मुकामात कमश भंवरदास, नेमादास, पूसदास पुत्रगण गणेशदास , मुन्नी, देवी, गंगा देवी, मनोहरी देवी पुत्रिया गणेश दास, बाली देवी पत्नी गणेश दास के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 89 रकबा 4.8077 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी हिस्सा नजरीनक्शानुसार व मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 448 रकबा 3.4398 हैक्टेयर में से 0.4522 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 5 पोकर दास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 89 रकबा 4.8077 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टेयर हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी कोना में नजरीनक्शानुसार व मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 448 रकबा 3.4398 हैक्टेयर में से 0.4523 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 161 / 2020
सीसीएमएस नंबर 2020 / 00298
लालदास वगैरह बनाम शांति वगैरह

प्रतिवादी संख्या 6 लिखमदास उर्फ लिखमीदास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 89 रकबा 4.8077 हैक्टेयर में से 1.2239 हैक्टेयर हिस्सा उत्तरी पश्चिमी कोना नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 86 रकबा 2.0882 हैक्टेयर में से 0.4679 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा नजरीनक्शानुसार व मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 448 रकबा 3.4398 हैक्टेयर में से 0.4523 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 7 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1,2,7 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जरिये तर्कनामा से जमा करवाये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अलगदरागद हो।

तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

नोट– बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एच.आर. ...)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner